न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**निधि बेनीवाल, आर.जे.एस.**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	:	50/2016
सी.आई.एस. संख्या	:	49/2016
सी.एन.आर. संख्या	:	RJCH130000372016
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	583/2015
पुलिस थाना	:	सरदारशहर

(10 वर्ष पुराना प्रकरण)

राजस्थान राज्य

-- अभियोगी

बनाम

भंवरराम पुत्र श्योकरण, निवासी धानसिया, पुलिस थाना पल्लु जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-- अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री रतनलाल स्वामी, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

अपराध की दिनांक	04.12.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	05.12.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनांक	12.01.2016
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	12.01.2016
साक्ष्य आरंभ करने की दिनांक	13.11.2018
अभियुक्त की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध करने की दिनांक	06.02.2026

- निर्णय - **दिनांकः 07 मार्च, 2026**

1. अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 05.12.2015 को परिवादी किशनलाल ने एक लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस थाना सरदारशहर में इस आशय का पेश किया कि, दिनांक 04.12.2015 को वक्त करीब सांय 06.30 बजे जब परिवादी भोजरासर बस स्टण्ड पर खड़ा था, तो उसके गांव के राधेश्याम व नरसीराम मोटरसाईकिल में सवार होकर सरदारशहर की तरफ से आ रहे थे और सांड को बचाने के लिए अपनी मोटरसाईकिल मोडी तो पीछे से आ रहे

 Authenticated Document

वाहन के ड्राईवर ने अपने वाहन को तेजगति व गफलत से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे राधेश्याम की मौका पर ही मौत हो गई और घायल नरसीराम को सरदारशहर अस्पताल में भर्ती करवाया, इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सरदारशहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 583/2015 दर्ज की गई तथा बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त भंवरराम के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं का आरोप सारांश मौखिक रूप से अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान को परीक्षित करवाया हैः–

क्र.सं.	गवाह का नाम	गवाह संख्या	साक्ष्य की प्रकृति
1.	गिरधारी	पी.डब्ल्यू.–1	नक्शा मौका बाबत्
2.	नरसाराम	पी.डब्ल्यू.–2	चक्षुदर्शी/आहत
3.	मोहम्मद ईदरीश	पी.डब्ल्यू.–3	मैकेनिलक मुआयना बाबत्
4.	मोहनराम	पी.डब्ल्यू.–4	ताईद घटना/चक्षुर्दशी
5.	हजारीमल	पी.डब्ल्यू.–5	ताईद घटना/चक्षुर्दशी
6.	डॉ. निर्मल पारीक	पी.डब्ल्यू.–6	चिकित्सीय साक्षी
7.	गिरधारीलाल	पी.डब्ल्यू.–7	अनुसंधान बाबत्
8.	इकबाल	पी.डब्ल्यू.–8	धारा 133 मोटर यान अधिनियम के नोटिस बाबत्

4. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया हैः–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श संख्या
1.	नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–1 व 1ए
2.	फर्द मुलाहिजा व सुपुर्दगी मोटरसाईकिल संख्या आरजे10 एसडी 3963	प्रदर्श पी–2

Authenticated Document

3.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन संख्या आरजे10 एसडी 3963	प्रदर्श पी–3
4.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन संख्या आरजे10 सीए 4691	प्रदर्श पी–4
5.	फर्द जब्ती दुर्घटनाग्रस्त कार संख्या आरजे10 सीए 4691	प्रदर्श पी–5
6.	पुलिस बयान मोहनराम	प्रदर्श पी–6
7.	पुलिस बयान हजारीमल	प्रदर्श पी–7
8.	पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट मृतक राधेश्याम	प्रदर्श पी–8
9.	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श पी–9
10.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–10
11.	फर्द सुरत हाल लाश पंचायतनामा मृतक राधेश्याम	प्रदर्श पी–11
12.	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक राधेश्याम	प्रदर्श पी–12
13.	नोटिस अंतर्गत धारा 133 मोटर यान अधिनियम	प्रदर्श पी–13
14.	आरोप पत्र	प्रदर्श पी–14

5. अभियुक्त की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गयी एवं अभियुक्त के विरुद्व आई साक्ष्य का स्पष्टिकरण लिया गया तो अभियुक्त ने अपने विरुद्व आई साक्ष्य को गलत कहते हुये कथन किये हैं कि, 'वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।' अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

6. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाह के बयानों व प्रदर्शित दस्तावेजात से अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर समुचित दंड से दंडित किया जावे।

इसके विपरीत, उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए न्यायालय के समक्ष विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क रखा है कि अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पत्रावली पर घटना के अहम गवाह स्वयं परिवादी की साक्ष्य लेखबद्व नहीं करवाई है जिससे लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की न्यायालय के समक्ष पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह व आहत द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त विरुद्व किसी

प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है। पेश कर परीक्षित करवाये गये अन्य स्वतंत्र गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है। अभियुक्त को आरोपित अपराध के तथ्यों एवं परिस्थितियों से जोड़ने वाले एक मात्र दस्तावेज धारा 133 मोटर यान अधिनियम के नोटिस को अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अभियोजन पक्ष अपना मामला संपुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अंत में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया, संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि:–

(क) आया अभियुक्त भंवरराम ने दिनांक 04.12.2015 को समय करीब 06.30 पी.एम. पर गांव भोजरासर बस स्टेण्ट के पास, मेगा हाई–वे लोकमार्ग पर वाहन संख्या आरजे10 सीए 4691 को उपेक्षा व उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापित करते हुए मोटरसाईकिल संख्या आरजे10 एसडी 3963 को पीछे से टक्कर मारकर मोटरसाईकिल सवार राधेश्याम की आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आने वाली मृत्यु कारित की?

(ख) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

8. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया तथा प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–14 तक दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कराये गये साक्षीगण में गवाह **पी.डब्ल्यू.–1 गिरधारीलाल** ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि बयान देने की तारीख से करीब दो तीन साल पहले पुलिस ने गेरे सामने कोई नक्शा मौका नहीं बनाया ना ही मौके पर मेरे हस्ताक्षर करवाये ना ही मैं मौके पर मौजूद था। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 पर ए से बी स्थान पर

मेरे हस्ताक्षर है, जो मैंने पुलिस वालो के कहने पर गौशाला में किये थे। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे सामने घटना स्थल पर पहुंच कर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया हो।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–2 नरसाराम** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है क बयान देने की तारीख से करीब 3 साल पहले मैं, राधेश्याम मोटरसाईकिल से सरदारशहर से पिचकराई जा रहे थे। जब हम भोजरासर के पास पहुंचे तो पीछे से एक अज्ञात वाहन आया जिसने तेजी व लापरवाही से अपना वाहन चलाकर हमारी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। जिस कारण मैं कच्ची मिट्टी के तरफ गिर गया तो मेरे कोई चोट किशनलाल ने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस मौके पर आयी और नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 बनाया जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 10 एसडी 3963 का मुलहिजा कर किशनलाल के सुपुर्द कर फर्द प्रदर्श पी–2 नहीं आयी। राधेश्याम के चोट आयी जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। दुर्घटना बाबत तैयार की जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि मैनें सभी कागजात पर हस्ताक्षर खाली कागजो पर किये थे। प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 थाने में तैयार किया था। हमारे टक्कर मारने वाला वाहन कौनसा था मुझे ध्यान नही है ना ही मुझे ध्यान की उस वाहन का चालक कौन था।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–3 मोहम्मद ईदरीश** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 29.12.15 को पुलिस लाईन चूरू में एमटीओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज एसएचओ सरदारशहर के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सरदारशहर पहुंचकर इस प्रकरण में जप्त मोटरसाईकिल नम्बर आरजे10 एसडी 3963 का थाना परिसर में खड़ी का मैकनिकल मुआयना किया था जो निम्न है– 1. मोटरसाईकिल के आगे के हैडलाईट व इंटीकेटर, माईजर टूटे हुये थे। आगे का मरगार्ड टूटा हुआ था तथा हँडल मुचा हुआ था। आगे क्लच लीवर व ब्रेक लीवर टूटा हुआ था। पीछला मरगार्ड व लाईट टूटी हुयी थी। गाडी चलने योग्य नही थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है। जिस पर ए से बी स्थान मेरे हस्ताक्षर और सी से डी मेरी रिपोर्ट का अंकन है। उसी रोज इस प्रकरण में जप्त कार नम्बर आरजे 10 सीए 4691 का थाना परिसर में खड़ी का मैकनिकल मुआयना किया था जो निम्न

हैः– 1. कार के आगे के मरगार्ड पर खरोंच के निशान लगे हुये थे। कार स्टार्ट थी। सभी प्रकार के तकनीकी सिस्टम सही कार्य कर रहे थे। रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 है। जिस पर ए से बी स्थान मेरे हस्ताक्षर और सी से डी मेरी रिपोर्ट का अंकन है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–4 मोहनराम** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि बयान देने की तारीख से करीब तीन चार साल पहले शाम के समय मैं भोजरासर बस स्टेण्ड पर खड़ा था। तब हमने सुना था कि एक मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कैसे हो गया है मुझे पता नही है। मोटरसाईकिल के एक्सीडेंट करने वाले साधन के नम्बर मुझे ध्यान नहीं है ना ही मुझे ध्यान कि एक्सीडेंट करने वाले साधन का चालक कौन था। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह कहना गलत है कि कार नम्बर आरजे10 सी 4691 के चालक भंवरराम ने तेजी व लापरवाही से कार चलाकर राधेश्याम व नरसीराम के मोटरसाईकिल के टक्कर मारी हो जिस कारण राधेश्याम की मृत्यु हो गयी हो। यह कहना गलत है कि राधेश्याम के मोटरसाईकिल के टक्कर मारने वाले गाडी चालक व गाडी नम्बर मुझे ध्यान हो।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–5 हजारीमल** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि बयान देने की तारीख से करीब तीन चार साल पहले शाम के समय मैं भोजरासर बस स्टेण्ड पर खड़ा था। तब हमने सुना था कि एक मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कैसे हो गया है मुझे पता नहीं है। मोटरसाईकिल के एक्सीडेंट करने वाले साधन के नम्बर मुझे ध्यान नही है ना ही मुझे ध्यान कि एक्सीडेंट करने वाले साधन का चालक कौन था। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह कहना गलत है कि कार नम्बर आरजे10 सी 4691 के चालक भंवरराम ने तेजी व लापरवाही से कार चलाकर राधेश्याम व नरसीराम के मोटरसाईकिल के टक्कर मारी हो जिस कारण राधेश्याम की मृत्यु हो गयी हो। यह कहना गलत है कि राधेश्याम के मोटरसाईकिल के टक्कर मारने वाले गाडी चालक व गाडी नम्बर मुझे ध्यान हो।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–6 डॉ. निर्मल पारीक** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि मैं दिनांक 05.12.2015 को राजकीय चिकित्सालय सरदारशहर में एमजे के पद

 Authenticated Document

पर कार्यरत था। उस रोज एसएचओ सरदारशहर की तहरीर पर मृतक राधेश्याम पुत्र मेनपाल जाट उम्र 19 साल की पीएमआर रिपोर्ट तैयार की जो प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी बाह्य चोटों का विवरण व सी से डी आंतरिक परीक्षण ई से एफ मृत्यु का कारण व मेरी राय व्यक्त की गयी है व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। मेरी राय के अनुसार मृत्यु का कारण सिर पर लगी गंभीर चोट है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–7 गिरधारीलाल** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 05.12.2015 को मैं पीएस सरदारशहर में एचसी के पद पर तैनात था। उस रोज मुस्तगीस किशनलाल पुत्र सुरजाराम जाट निवासी पिंचकराई ताल ने थानाधिकारी निसार खान एसआई को मुकदमा दर्ज करने का आवेदन प्रदर्श पी–9 दिया जिसपर एफआईआर संख्या 583/2015 दर्ज की गई। प्रकरण की तफतीश मेरे सुपुर्द की गई। प्रदर्श पी–1 पर ए से बी मुस्तगीस, सी से डी थानाधिकारी निसार खान एसआई के हस्ताक्षर है, ई से एफ मुकदमा दर्ज करने का पृष्ठांकन है। एफआईआर प्रदर्श पी–10 है। जिसपर भी ए से बी निसार खा एसआई के हस्ताक्षर है जो मैं उनके साथ काम करने के कारण पहचानता हूं। घटनास्थल पहुंचकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 तैयार किया जिसपर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मोतबीरान व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श पी–1ए है। जिसपर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। एफआईआर दर्ज करने से पूर्व दुर्घटना की सूचना मिलने पर मैं राजकीय चिकित्सालय सरदारशहर पहुंचा जहां दुर्घटना में मृतक राधेश्याम की फर्द सुरत लाश व पंचनामा प्रदर्श पी–11 तैयार किया। जिसपर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे पंचों के व के से एल मेरे हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लाश बाद पोस्टमार्टम तैयार की गई। जो प्रदर्श पी–12 है। जिसपर ए से बी मेरे, सी से डी, ई से एफ मोतबीरान के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर मोतबीर की अंगुठा निशानी है। दुर्घटना कारित करने वाली कार को जरिए फर्द प्रदर्श पी–5 के जप्त किया जिसपर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मोतबीरान व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। दुघर्टनाग्रस्त मोटरसाइकिल को जरिए फर्द प्रदर्श पी–2 मुलायजा कर मुस्तगीस को सुपुर्द किया। जिसपर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मोतबीरान व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। कार मालिक इकबाल को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–13 दिया जिसपर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी नोटिस का जवाब वाहन मालिक ने अपनी

Authenticated Document

हस्तलिपि में लिख कर दिया व ई से एफ वाहन मालिक के हस्ताक्षर है। दोनों वाहनो का मैकेनिकल मुआयना कराकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल की। दौराने तफतीश गवाहान किशनलाल, नरसाराम, मोहनराम, हजारीमल के बयान उनके कथानुसार लेखबद्ध किए। वाहनों के कागजात शामिल किए। बाद तफतीश मुलजिम भंवराराम के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 304ए भादसं. प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ ओमप्रकाश गोदारा को सुपुर्द की जिन्होंने चालान प्रदर्श पी–14 न्यायालय में पेश किया जिसपर ए से बी उनके हस्ताक्षर है जो मैं साथ में काम करने के कारण पहचानता हूं।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–8 इकबाल** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि वर्ष 2015 की बात है मेरे पास एक स्विफट डिजायर कार थी जिसके नंबर आरजे 10 सीए 4691 थे जिसका मैं पंजीकृत स्वामी था। इस कार का भोजरासर के पास एक्सीडेंट हो गया था। वरवक्त दुर्घटना चालक कौन था मुझे आज याद नहीं है।विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह कहना गलत है कि भंवराराम कभी मेरी कार का चालक रहा हो। यह कहना सही है कि पुलिस ने मुझे एक नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट दिया था जो प्रदर्श पी–13 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है जिसका हिस्सा सी से डी सुनकर कहा कि मेरा नहीं लिखवाया हुआ। पुलिस ने मेरे सामने मेरी कार को जब्त नहीं किया था। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–5 व 13 पुलिस ने मेरे सादे कागजो पर साईन कराए थे जो मैंने डर के कारण कर दिए थे।

9. विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर आई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी किशनलाल की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 के आधार पर चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 कायम की गई थी। सर्वप्रथम यहां यह उल्लेखनीय है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 में वर्णित तथ्यों की पुष्टि बाबत् जो सबसे अहम गवाह था, वह स्वयं परिवादी किशनलाल था तथा लिखित रिपोर्ट के अनुसार उक्त गवाह वरवक्त घटना मौका पर भी मौजूद था अर्थात् उक्त गवाह की साक्ष्य प्रकरण में परिवादी होने के आधार पर तथा

घटना का चश्मदीद गवाह होने के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण थी, किंतु उक्त महत्वपूर्ण गवाह की साक्ष्य पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं करवाई जा सकी है। उक्त गवाह की तलबी सुनिश्चित किये जाने के प्रत्येक सार्थक प्रयास किये जाने तथा गवाह को तलबी की सूचना होने के पश्चात् भी उसके द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2026 को तलबी बंद की जाकर अभियोजन पक्ष को उक्त गवाह को बयान मुलजिम से पूर्व अपने स्तर पर पेश कर परीक्षित करवाने बाबत् अवसर प्रदान किया गया था, किंतु उसके बावजूद भी उक्त गवाह की साक्ष्य पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं करवाई गई है। उपरोक्त महत्वपूर्ण गवाह की साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (छ) के तहत यह उपधारणा की जाएगी कि, वह साक्ष्य जो पेश किए जा सकते हैं और पेश नहीं किए गए है, पेश किए जाते तो अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल होते अर्थात् यदि अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त गवाह को पेश किया जाता तो उसकी साक्ष्य अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल होती। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण गवाह की साक्ष्य के अभाव में प्रकरण को संस्थित किये जाने का मूल आधार ही संदेह के घेरे में आ जाता है।

10. पत्रावली पर लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में अज्ञात वाहन के अज्ञात चालक द्वारा घटना कारित किए जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार जहां हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त भंवराराम के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी, वहां अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की पहचान को साबित करते हुए, यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करना था कि वरवक्त घटना तथाकथित वाहन संख्या आरजे10 सीए 4691 का संचालन अभियुक्त भंवराराम द्वारा ही किया जा रहा था। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त भंवराराम को हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से जोड़ने वाली जो अहम कड़ी है, वह धारा 133 मोटर यान अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी–13 है। उक्त नोटिस प्रदर्श पी–13 को न्यायालय के समक्ष साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा वाहन संख्या आरजे10 सीए 4691 के पंजिकृत स्वामी इकबाल को बतौर पी.डब्ल्यू.–8 न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू.–8 इकबाल न्यायालय के

Authenticated Document

समक्ष पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में वाहन संख्या आरजे10 सीए 4691 का एक्सीडेंट हो जाने के तथ्य को तो स्वीकार किया गया है, परंतु वरवक्त दुर्घटना उक्त वाहन का चालक कौन था, के तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर करता है। उक्त गवाह विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान नोटिस प्रदर्श पी–13 का हिस्सा सी से डी उसके द्वारा नहीं लिखवाये जाने बाबत कथन करते हुए इस सुझाव को स्पष्टतः गलत होना बतलाकर आ रहा है कि भंवरराम कभी उसकी कार का चालक रहा हो। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह प्रदर्श पी–5 ता 13 पर पुलिस द्वारा सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाने बाबत् भी स्पष्ट कथन किये गये है। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य के दौराने इस आशय का कोई भी कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त भंवरराम वरवक्त घटना उक्त वाहन का चालक हो। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त भंवरराम द्वारा ही तथाकथित वाहन को संचालित कर दुर्घटना कारित की गई हो, इस तथ्य को साबित करने हेतु उक्त गवाह की साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण थी, परंतु नोटिस प्रदर्श पी–13 को साबित करने वाले गवाह पी.डब्ल्यू.–8 इकबाल द्वारा ही नोटिस प्रदर्श पी–13 में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं की है तथा उसके बयानात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त गवाह द्वारा अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य में अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से जोड़ने वाला कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त भंवरराम की पहचान व उसका घटना में लिप्त होना प्रमाणित नहीं हो पाया है।

11. हस्तगत प्रकरण में परिवादी किशनलाल के पश्चात् जो घटना का अन्य चश्मदीद व अहम साक्षी है, वह नरसाराम है जो कि वरवक्त दुर्घटना, दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल में मृतक राधेश्याम के साथ सवार था। उक्त नरसाराम को अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर पी.डब्ल्यू.–2 पेश कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह के बयानात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त भंवरराम के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई विशिष्ट कथन नहीं किया है तथा केवल मात्र किसी अज्ञात वाहन के चालक द्वारा उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार देने बाबत् उल्लेख करता है। आगे दौराने प्रतिपरीक्षण उक्त गवाह सभी खाली कागजात पर हस्ताक्षर

करने बाबत् कहते हुए आगे यह स्पष्ट रूप से कथन करता है कि उनके टक्कर मारने वाला वाहन कौनसा था उसे ध्यान नहीं है तथा ना ही उसे ध्यान है कि उस वाहन का चालक कौन था। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य अभियुक्त को आरोपित अपराध में लिप्त करने बाबत् पर्याप्त प्रतीत नहीं होती है।

इसके अलावा, यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप नरसाराम घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, किंतु स्वयं पी.डब्ल्यू.–2 नरसाराम द्वारा इस तथ्य की पुष्टि नहीं की गई है, बल्कि उक्त गवाह अपनी साक्ष्य में यह कथन करता है कि दुर्घटना में उसे कोई चोट नहीं आई थी। पत्रावली पर उक्त गवाह के ईलाज संबंधि कागजात चोट प्रतिवेदन इत्यादि भी पेश कर परीक्षित नहीं करवाये गये है। न्यायालय के विनम्र मत में यदि अभियोजन कहानी पर विश्वास भी किया जावे तो किसी मोटरसाईकिल को इतनी गति से टक्कर मारी गई हो कि उस पर सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, वहीं उसी मोटरसाईकिल पर सवार अन्य व्यक्ति के किसी प्रकार की कोई मामूली चोट भी नहीं आना, सामान्य अनुक्रम में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त गवाह की मौका पर उपस्थिति भी संदेहास्पद प्रतीत होती है।

12. उपरोक्त गवाहान के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू.–1 गिरधारी लाल, पी.डब्ल्यू.–4 मोहनराम व पी.डब्ल्यू.–5 हजारीराम को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जो कि तीनों ही गवाहान न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए है। सर्वप्रथम पी.डब्ल्यू.–1 गिरधारी लाल, जो कि नक्शा मौका का गवाह है, उसके द्वारा अपनी साक्ष्य में उसके सामने नक्शा मौका नहीं बनाये जाने, उसके मौका पर हस्ताक्षर नहीं करवाने व उसके मौका पर उपस्थिति ही नहीं होने बाबत् स्पष्ट कथन किये हैं। उक्त गवाह दौरान प्रतिपरीक्षण नक्शा मौका पर प्रदर्श पी–1 पर पुलिस वालों के कहने पर गौशाला में हस्ताक्षर करने बाबत् कथन करता है। इसी क्रम में अन्य दो गवाहान पी.डब्ल्यू.–4 मोहनराम व पी.डब्ल्यू.–5 हजारीराम, जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार वरवक्त घटना मौका पर उपस्थित थे, के बयानात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त गवाहान द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में एक स्वर में एक्सीडेंट कैसे होने, एक्सीडेंट करने वाले साधन के नंबर व चालक के

नाम के संबंध में पूर्णतया अनभिज्ञता जाहिर की है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण एक स्वर में ही इन सुझावों को गलत होना बतलाया है कि, कार नंबर आरजे10 सी 4691 के चालक भंवरराम ने तेजी व लापरवाही से कार चलाकर राधेश्याम व नरसीराम के मोटरसाईकिल को टक्कर मारी हो जिस कारण राधेश्याम की मृत्यु हो गई हो एवं राधेश्याम के मोटरसाईकिल के टक्कर मारने वाली गाड़ी का चालक व नंबर उन्हें ध्यान हो। इस प्रकार उपरोक्त तीनों ही गवाहान द्वारा भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त भंवरराम के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है, बल्कि उक्त गवाहान सम्पूर्ण घटना से अनभिज्ञता जाहिर करते है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराधों को संदेह से परे प्रमाणित करने वाली सुदृढ़ एवं संपुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

इसके अतिरिक्त, पत्रावली पर पेश कर परीक्षित करवाये गये अन्य गवाहान केवल मात्र औपचारिक साक्षीगण है। जहां घटना के महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है, अभियुक्त की पहचान के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है एवं अन्य चश्मदीद/आहत व अन्य स्वतंत्र गवाहान की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो पाया है कि वरवक्त दुर्घटना तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को अभियुक्त भंवरराम द्वारा ही संचालित किया जा रहा था, वहां केवल मात्र औपचारिक साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की दोषसिद्धी कायम नहीं की जा सकती है।

13. फलतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर ऐसी कोई सारवान साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि "अभियुक्त भंवरराम ने दिनांक 04.12.2015 को समय करीब 06.30 पी.एम. पर गांव भोजरासर बस स्टेण्ट के पास, मेगा हाई–वे लोकमार्ग पर वाहन संख्या आरजे10 सीए 4691 को उपेक्षा व उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापित करते हुए मोटरसाईकिल संख्या आरजे10 एसडी 3963 को पीछे से टक्कर मारकर मोटरसाईकिल सवार राधेश्याम की आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आने वाली मृत्यु कारित की।" इस प्रकार अभियुक्त भंवरराम को अरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Authenticated Document

– आदेश –

14. अतः **अभियुक्त भंवरराम पुत्र श्योकरण, निवासी धानसिया, पुलिस थाना पल्लु जिला हनुमानगढ़ (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।** अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

हस्तगत मामले में जप्तशुदा वाहन संख्या आरजे10 सीए 4691 को प्रार्थी इकबाल को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर दिया गया था, जो सुपुर्ददार के पास रहे तथा सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः ही निरस्त समझे जावे।

अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु छः माह की अवधि के लिए राशि 10 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंध–पत्र व इसी राशि की एक प्रतिभू इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(निधि बेनीवाल, RJS)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)

15. निर्णय आज दिनांक 07.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

(निधि बेनीवाल, RJS)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)

Digitally signed by
SURESH UPADHYAY
Location: JM Court,
Sardarshahar Dist. Churu
Date: 2026.03.07
17:16:40 +0530